	# कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)
क्रमांकः–	एफ–5()कार्मिक / सा.प्र. / ननिग्रेज / 2022 / 489 दिनांकः– 07.07.2022

कार्यालय आदेश

निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 1757–1969 दिनांक 21.06.2022 द्वारा दिनांक 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने पर कार्मिकों के वेतन से पत्र में उल्लेखितानुसार अनिवार्य कटौती किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

वित्त विभाग (नियम अनुभाग) राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.12(3)वित्त नियम / 2022 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा राजकीय उपक्रमों / स्वयशाषी निकायों में दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन (एनपीएस) की कटौती समाप्त करने के आदेश प्रसारित किये गये एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2) / वित्त (नियम) / 2021 पार्ट दिनांक 25.05.2022 के द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों के वेतन से जीपीएफ की कटौती किये जाने के आदेश जारी किये गये है।

नगरीय निकायों में दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों पर राजस्थान नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम 1989 प्रभावशाली है। विभागीय आदेश क्रमांक प.6(ज)(28)लेखा / पीएफ / डीएलबी / 10 / 14073–14269 दिनांक 15.11.2010 के द्वारा कर्मचारियों के वेतन बिलों में मूल वेतन+मंहगाई भत्ता का 12 प्रतिशत राशि सम्बन्धित निकाय की ओर से अंशदान पेंशन फण्ड में जमा कराने का प्रावधान है। इसी प्रकार वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.7(9) / FD / R&AI / 89 दिनांक 13.04.1989 के द्वारा निकाय कर्मियों पर जीपीएफ रूल्स यथावत लागू किये गये है एवं कार्मिकों के वेतन से प्रतिमाह मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत की कटौती का प्रावधान किया गया है।

अतः उक्त आदेश की अनुपालना में नगर निगम ग्रेटर जयपुर में दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के माह अप्रेल 2022 के वेतन से उक्तानुसार नियमित कटौती किये जाने एवं माह अप्रेल 2022, मई 2022 एवं जून 2022 की पेंशन अंशदान एवं जीपीएफ की मासिक कटौती माह जुलाई 2022 (देय अगस्त 2022) के वेतन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Sd/-
(सीमा शर्मा)
उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक,महापौर महो० / उपमहापौर महोदय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. समस्त उपायुक्त जोन / मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. सहायक लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. संस्थापन लिपिक
10. सम्बन्धित श्री...
11. प्रभारी, ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
12. गार्ड फाईल

उपायुक्त (कार्मिक)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

D:\aakash\Order\office order2020.docx